

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26796/2026**

शिवमूरत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: हिमांशु पाण्डेय

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश सिंह ने, आज न्यायालय में, अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री हिमांशु पाण्डेय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री शत्रुहन यादव को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 61/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), 3(5) बीएनएस, थाना-चरवा, जनपद-कौशाम्बी में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की माँग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था तथा वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार नामजद अभियुक्तों द्वारा मारपीट किए जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति अर्थात् मामले के सूचनाकर्ता, को चोटें आईं।
5. वह आगे प्रस्तुत करता है, मामले में घायल सूचनाकर्ता ने विवेचना के दौरान दर्ज अपने बयान में भी आवेदक का नाम नहीं बताया था किंतु जब इसके बाद विवेचक ने एक भैयन नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया तब उसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया और उसने आवेदक सहित पांच अन्य अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, तथापि विवेचक ने दो अन्य गवाहों के भी बयान दर्ज किए और उन्होंने भी पूर्व गवाह द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि की किंतु चूंकि मामले के सूचनाकर्ता, जो स्वयं घायल व्यक्ति हैं, ने न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही अपने बयान में आवेदक के नाम का खुलासा किया, इसलिए प्रथम दृष्टया आवेदक की संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया, सभी कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने भी आवेदक सहित कुल 10 अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है।

8. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त राम प्रकाश जिसे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था और जिसकी संलिप्तता विवेचना के दौरान सामने आई थी, को इसी न्यायालय द्वारा आज आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26788/2026 में जमानत पर रिहा किया गया है और आवेदक का मामला भी उसके समान है।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 03.04.2026 से जेल में है।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हालाँकि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

11. मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

12. वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट, पांच अभियुक्तों (गैर-आवेदकों) के विरुद्ध दर्ज की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार नामजद अभियुक्तों द्वारा की गई मारपीट के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा सूचनाकर्ता घायल हुआ। अभिलेख से आगे संकेत मिलता है, मामले के घायल सूचनाकर्ता ने विवेचना के दौरान दर्ज अपने बयान में भी आवेदक के नाम का खुलासा नहीं किया किंतु यह परिलक्षित होता है, घायल सूचनाकर्ता के बयान के पश्चात जब विवेचक ने एक भैयन नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया तो उसने अत्यंत सामान्य रूप से आवेदक सहित कुल 10 अभियुक्तों को मामले में शामिल किया और कहा कि सभी अभियुक्त मृतक तथा सूचनाकर्ता के साथ मारपीट कर रहे थे। इस गवाह के बयान से यह परिलक्षित होता है, उसने सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है।

13. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि गवाह भैयन के बयान के बाद विवेचक ने दो अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और उन्होंने भी गवाह भैयन के कथन की पुष्टि

की। किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण तथा सूचनाकर्ता के कथन जो स्वयं घायल था के बयान को देखते हुए प्रथम दृष्टया आवेदक की संलिप्तता के संबंध में इन गवाहों के बयान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

14. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त राम प्रकाश, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था और जिसकी संलिप्तता विवेचना के दौरान सामने आई थी, को भी इसी न्यायालय द्वारा आज जमानत प्रदान की गई है और आवेदक का मामला भी उसके समान है।

15. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 03.04.2026 से जेल में है।

16. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. आवेदक- **शिवमूरत** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, और न ही वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

19. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 03, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।